विषय :– राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सातवीं बैठक, दिनांक 28.03.2008 का कार्यवाही विवरण।

मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सातवीं बैठक दिनांक 28/03/2008 को प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एंव निर्णय लिये गये :–

1. **एजेण्डा क्रमांक 1** : समिति की छठवीं बैठक दिनांक 17/12/2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

2. **एजेण्डा क्रमांक 2** : समिति की छठवीं बैठक दिनांक 17/12/2007 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया। समिति पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई ।

3. **एजेण्डा क्रमांक 3** : मेसर्स व्ही.आर.एस. फूड्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरौंगी) का द्वितीय वर्ष 2005–06 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनांतर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेश रूपये 122791581.00 (रू. बारह करोड़ सत्ताईस लाख इक्यानवे हजार पांच सौ इक्यासी मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई। इकाई के वर्ष 2005–06 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.10.07 के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2005–06 में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रूपये 27401588.00 (दो करोड़ चौहत्तर लाख एक हजार पांच सौ अट्ठासी मात्र) की 75 प्रतिशत इकाई की पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रू. 20551191.00 (दो

करोड़ पांच लाख इक्यावन हजार एक सौ इक्यानवे मात्र) समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गई।

4. एजेंडा क्रमांक 4 : मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड (एम–7 डिवीजन) औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन का विस्तार संबंधी प्रथम वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंडीदीप जिला रायसेन के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिये योजनांतर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेश रू. 146774022.00 (रू. चौदह करोड़ सढसठ लाख चौहत्तर हजार बाईस मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई। वाणिज्यकर अधिकारी जिला भोपाल, वृत्त 6 के संशोधित प्रारूप–4 दिनांक 20.03.2008 में दर्शाई गई जमा कर राशि पुष्टि के अनुसार विस्तारित क्षमता हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2006–07 में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर/ केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रू. 96.46 लाख (रू. छियानवे लाख छियालिस हजार मात्र) की 75 प्रतिशत इकाई की पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रू. 7234500.00 (बहत्तर लाख चौतीस हजार पांच सौ मात्र) समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गई।

5. एजेंडा क्रमांक 5 : मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिरला ग्राम नागदा जिला उज्जैन का प्रथम वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा वर्ष 2006–07 में किया गया उत्पादन, पूर्व स्थापित क्षमता/औसत उत्पादन से कम है। योजना के नियम 3.8.2 अनुसार "विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता, जो कि विगत 3 वर्षो के उत्पादन औसत आधार पर आंकलित की जावेगी, से अधिक होने वाले उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा। जिन इकाईयों द्वारा पूर्व में स्थापित अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया हो, उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी इकाई को औसत उत्पादन/पंजीकृत क्षमता जो भी अधिक हो के

विक्रय माल पर जमा कर के विरूद्ध योजनांतर्गत सहायता राशि प्राप्त नहीं होगी"।

इकाई द्वारा वर्ष 2006–07 में किया गया उत्पादन पूर्व स्थापित क्षमता/औसत उत्पादन से कम है, अतः पात्रता नहीं आने के कारण प्रकरण समिति द्वारा निरस्त किया गया।

6. एजेंडा क्रमांक 6 : मेसर्स कृष्णा फास्केम लिमिटेड मेघनगर, झाबुआ का उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के अंतर्गत पंजीयन के संबंध समिति को अवगत कराया गया कि आयुक्त, वाणिज्य कर **मध्यप्रदेश, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.12.2006 के अनुसार** आवेदक द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बेनिफिकेटेड रॉक फास्फेट तैयार किया जाता है, जिसके फलस्वरुप सिलिका की मात्रा कम तथा मॉयश्चर एवं P_2O_5 की नात्रा अधिक हो जाती है, अतः आवेदक की इकाई में अपनाई गई प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया की श्रेणी में आती है। उक्त निर्णय के आधार एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र झाबुआ की अनुशंसा के आधार पर इकाई का पंजीयन किया जावें।

7. एजेंडा क्रमांक 7 : मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, **2004 के क्रियान्दयन की प्रगति के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया। समिति प्रगति प्रतिवेदन से अवगत हुई।**

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

9/05/08

(प्रवीण गर्ग)
प्रबंध संचालक,
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन
कार्पोरेशन लिमिटेड एवं सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय उद्योग निवेश
संवर्धन सहायता समिति

(सत्यप्रकाश)
प्रमुख सचिव
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग
निवेश संवर्धन सहायता समिति

परिशिष्ट

विषय : राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सातवीं बैठक दिनांक 28.03.2008 में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सातवीं बैठक दिनांक 28.03.2008 को श्री सत्यप्रकाश, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उपस्थित सदस्य

1. श्री दीपक खाण्ड़ेकर, उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश — सदस्य
2. श्री पी.के. दास, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्य प्रदेश — सदस्य
3. श्री प्रवीण गर्ग, प्रबन्ध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी. एवं एम.पी. ट्राइफेक — सदस्य सचिव
4. श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, [illegible], वित्त विभाग — प्रतिनिधि

उपस्थित अन्य अधिकारीगण

1. श्री आर.डब्ल्यू श्री[illegible], [illegible] प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्राइफेक, भोपाल।